



2026:AHC:52065

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3533 वर्ष 2026

संजय ठाकुर

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता: सुरेश कुमार मौर्य

प्रतिवादी के अधिवक्ता सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार मौर्य और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याची का मामला यह है कि उसे वर्ष 2007 में अमीन के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके पश्चात 15.09.2023 को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। रिट याची वर्तमान में आगरा में तैनात है। वह शासनादेश दिनांक 05.01.1976 के अनुसार जिला गौतम बुद्ध नगर या किसी नजदीकी जिले जैसे गाजियाबाद या हापुड़ में स्थानांतरण चाहता है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि स्थानांतरण के लिए रिट याची के दावे का निर्णय स्थानांतरण नीति के आलोक में किया जाना आवश्यक है, जिसे आगामी स्थानांतरण सत्रों के लिए लागू किया जाएगा।
4. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता ने इस दलील को शालीनता से स्वीकार किया है।
5. बार के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ **निस्तारित** किया जाता है कि रिट याची 27.03.2026 तक प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष रिट याचिका की स्व-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे, जो उक्त प्रार्थना पर कानून के अनुसार कड़ाई से, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर रिट याची के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 2 यह पाते हैं कि रिट याची के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो रिट याची को सूचित करते हुए कागजात उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।

(विकास बुधवार, जे.)

16 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।